UPMT010017842026

न्यायालय सत्र न्यायाधीश, मथुरा।
उपस्थित : विकास कुमार–प्रथम, उच्चतर न्यायिक सेवा
जमानत प्रार्थनापत्र संख्या–852/2026
श्रीमन उर्फ गोविन्द प्रति उत्तर प्रदेश राज्य

<u>आदेश</u>

मुकदमा अपराध संख्या 11/2026, धारा 64(1),115(2),75,76,352, 351(3) भारतीय न्याय संहिता, थाना माँट, जिला मथुरा के प्रकरण में आवेदक/अभियुक्त **श्रीमन उर्फ गोविन्द** की ओर से स्वयं को जमानत प्रदान किए जाने के लिए यह जमानत प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया है।

2– जमानत प्रार्थनापत्र पर आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता–फौजदारी को सुना, साथ ही पत्रावली का अवलोकन किया।

3– आवेदक/अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र एवं समर्थित शपथपत्र द्वारा नीतेश कुमार पर बल देते हुए मुख्यतः इस आशय के तर्क प्रस्तुत किए गए हैं कि आवेदक/अभियुक्त पूर्णतः निर्दोष है, उसको इस केस में झूठा फँसाया गया है। आवेदक/अभियुक्त का यह प्रथम जमानत प्रार्थनापत्र है, इससे पूर्व अन्य कोई जमानत प्रार्थनापत्र इस न्यायालय या माननीय उच्च न्यायालय में न तो लगाया गया है, न खारिज हुआ है और न ही लंबित है, उसका कोई पूर्व आपराधिक इतिहास नहीं है, वह पूर्व सजायाफ्ता नहीं है और दिनांक 18.01.2026 से जिला कारागार, मथुरा में निरूद्ध है, अतः उसे दौरान मुकदमा जमानत प्रदान की जाय।

4– प्रतिवाद में अभियोजन पक्ष की ओर से केस डायरी व थाना आख्या को संदर्भित करते हुए मुख्यतः इस आशय के तर्क प्रस्तुत किए गए हैं कि प्रस्तुत प्रकरण में आवेदक/अभियुक्त द्वारा वादिया मुकदमा श्रीमती सुनीता के स्तन व छाती पकड़ लेना, जेट भर कर झाड़ियों में ले जाकर वादिया के साथ बलात्कार करना, वादिया को गंदी–गंदी गालियाँ देते हुए उसे जान से मारने की धमकी देना आदि आक्षेपित है। वादिया ने अपने बयान अंतर्गत धारा 180,183 BNSS में अभियोजन कथानक का समर्थन किया है। बाद विवेचना आवेदक/अभियुक्त के विरूद्ध आरोपपत्र प्राप्त हो चुका है, अतः आवेदक/अभियुक्त का जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किया जाय।

5– प्रत्युत्तर में अभियुक्त पक्ष के तर्क हैं कि प्रथम सूचना रिपोर्ट दो दिन के विलंब से दर्ज कराई गई है। मुकदमा प्रारम्भिक तौर पर धारा 75,76,352,351(3) भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत पंजीकृत हुआ था, बाद में मुकदमे में धारा 115(4),64(1) भारतीय न्याय संहिता का इजाफा किया गया है, जो प्रथमदृष्टया घटना की सत्यता को संदेहास्पद बनाता है। वादिया के स्वीकार्य कथन के अनुसार उसको आँखों से कम दिखाई देता है। प्रथम सूचना रिपोर्ट के तथ्य यह इंगित करते हैं कि यदि वादिया के साथ वास्तव में कोई घटना घटित हुई है तो तथाकथित घटना के वक्त वादिया उसके साथ घटना कारित करने वाले व्यक्ति को पहचान नहीं पाई है, क्योंकि वादिया द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट में यह अंकित कराया गया है कि जब उसके स्तन को पकड़ा गया तो वादिया ने स्तन पकड़ने वाले व्यक्ति से यह पूछा कि वह कौन है। वादिया द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से दो स्थानों पर उसके साथ घटना घटित करने वाले व्यक्ति द्वारा जबरन अश्लील हरकत करने व बलात्कार की कोशिश करने के आरोप लगाए गए हैं, बलात्कार किए जाने के विषय में कुछ भी नहीं कहा गया है। कानूनी सलाह–मशविरे से ही वर्तमान मामले में छेड़छाड़ के मामले को बलात्कार में परिवर्तित किया गया है। वादिया द्वारा रिपोर्ट में बलात्कार करने की कोशिश करने के सम्बन्ध में

Digitally signed by VIKAS KUMAR
Date: 2026.03.18 16:27:16 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

आवश्यक तत्व मौजूद नहीं हैं, इसलिए प्रारम्भिक तौर पर यह छेड़छाड़ का मामला प्रतीत होता है। कथित घटना का कोई अन्य साक्षी नहीं है और वादिया ने प्रथम सूचना रिपोर्ट में भी किसी व्यक्ति को घटना का गवाह होना नहीं दर्शाया है। आवेदक/अभियुक्त शादीशुदा है, उसके तीन बच्चे हैं, जिनमें सबसे बड़ी पुत्री की उम्र 12 वर्ष से अधिक है। सच्चाई यह है कि वादिया के साथ उसी के गाँव जनकपुर की उसकी पड़ौसन श्रीमती विद्या देवी व श्रीमती भगवान देवी लकड़ी लेने गई थीं। दिनांक 14.01.2026 को वादिया के साथ उसके द्वारा कथित कोई घटना नहीं हुई थी, जिसकी पुष्टि वादिया के साथ लकड़ी लेने के लिए दिनांक 14.01.2026 को गई हुई श्रीमती विद्या देवी व श्रीमती भगवान देवी के शपथपत्रों की छायाप्रतियों, जो उनके द्वारा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मथुरा के माध्यम से विवेचक को भेजे गए हैं, से होती है। आवेदक/अभियुक्त के विरूद्ध आरोपित धाराओं का कोई अपराध नहीं बनता है।

6– अभियोजन पक्ष की ओर से अभियुक्त पक्ष के उक्त प्रत्युत्तर का कोई समुचित प्रतिवाद नहीं किया जा सका है।

आवेदक/अभियुक्त **श्रीमन उर्फ गोविन्द** को दिनांक 18.01.2026 से न्यायिक अभिरक्षा में होना बताया गया है और उसकी किसी पूर्व दोषसिद्धि के सम्बन्ध में भी अभियोजन पक्ष की ओर से कोई तर्क प्रस्तुत नहीं किया गया है, अतः उपरोक्त समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों के प्रकाश में, बिना प्रकरण के गुण–दोष पर जाए, आवेदक/अभियुक्त को सशर्त जमानत प्रदान किए जाने का न्यायोचित आधार है।

तद्नुसार आवेदक/अभियुक्त द्वारा मुवलिग 1,00,000/– (एक लाख) रूपए का व्यक्तिगत बन्धपत्र व इतनी ही धनराशि के दो विश्वसनीय प्रतिभू सम्बन्धित न्यायालय की संतुष्टि पर प्रस्तुत किए जाने पर उसे निम्नलिखित शर्तों के अधीन नियमानुसार जमानत पर रिहा किया जाय–

क– आवेदक/अभियुक्त समान प्रकार के अपराध में पुनः लिप्त नहीं होगा,

ख– आवेदक/अभियुक्त प्रश्नगत विचारण में अपने स्तर से कोई विलम्ब कारित नहीं करेगा,

ग– आवेदक/अभियुक्त न्यायालय द्वारा नियत तिथियों पर न्यायालय में उपस्थित होता रहेगा एवं अनावश्यक स्थगन नहीं लेगा,

घ– आवेदक/अभियुक्त अभियोजन साक्षीगण को न डरायेगा और न धमकायेगा तथा अभियोजन साक्ष्य से छेड़छाड़ भी नहीं करेगा,

ड़– आवेदक/अभियुक्त आरोप विरचित किए जाने, अपने कथन अंकित किए जाने एवं निर्णय हेतु नियत तिथियों पर आवश्यक रूप से न्यायालय में उपस्थित रहेगा।

कार्यालय लिपिक को निर्देशित किया जाता है कि वह इस जमानत आदेश की सॉफ्ट कॉपी अधीक्षक, जिला कारागार, मथुरा को ई०मेल districtjailmathura@gmail.com पर आवेदक/अभियुक्त के अभिलेख हेतु प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

दिनांक–18.03.2026

(विकास कुमार–प्रथम)
सत्र न्यायाधीश, मथुरा।
I.D.No.U.P. 1910

अटल राम चतुर्वेदी